



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8312/2026

बिलाल अहमद

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अकीब इश्तेयाक, सैय्यद इकबाल अहमद

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 462 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 69, 351(2) बी.एन.एस., थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि सूचनाकर्ता-पीड़िता द्वारा एक झूठी एवं निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता का यह स्वीकृत प्रकरण है कि वह बालिग लड़की है, जिसकी आयु लगभग 27 वर्ष है और वह पिछले चार महीनों से आवेदक के संपर्क में थी तथा इस अवधि के दौरान दोनों के मध्य सहमति से संबंध रहे। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और संबंधों में कटुता उत्पन्न होने पर इसे दर्ज कराया गया। पीड़िता का कथन लगातार बदलता रहा है और अभियोजन के प्रकरण में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

4- विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चार माह की पूरी दीर्घ अवधि के दौरान पीड़िता आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के संबंध में पूरी तरह शांत रही और तब तक उसने कोई शिकायत नहीं की, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो गया कि आवेदक उससे विवाह करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध के बीच चार माह का लंबा अंतराल तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक चार माह तक संबंध जारी रहना यह स्पष्ट करता है कि यह प्रकरण प्रेम संबंध से संबंधित है। संबंधों में कटुता उत्पन्न होने पर पीड़िता ने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाए, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया।

7- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य, (2020) 5 SCC 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचकर निकल जाने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि, पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा उसे अस्वीकार करने पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक का विषय है।

9- **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा कोई जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी किया जाना विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवज्ञा करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है।

10- **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 398** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहां किसी महिला द्वारा किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध जानबूझकर बनाए रखे गए हों, वहां यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के कथित वादे के कारण ही बनाए गए थे। किसी महिला के विवाह के वादे के अतिरिक्त शारीरिक संबंध बनाए रखने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद।

11- **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 764** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह कल्पना से परे है कि शिकायतकर्ता अपनी स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

12- इसके अतिरिक्त, **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि अनेक अवसरों पर ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति का संज्ञान लिया गया है, जिसमें असफल अथवा टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का रंग दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, केवल उन्हीं प्रकरणों में आरोपित किया जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, दबाव अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक कटु संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है, बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक और गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसी घटनाएं मात्र व्यक्तिगत मतभेद के क्षेत्र से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए, जो पहले से ही भारी बोझ का सामना कर रही है, गहरी चिंता का विषय है और इसकी निंदा किया जाना आवश्यक है।

13- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य, 2025 (4) एससीसी 197** में अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई महिला किसी पुरुष के साथ स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में रहती है, उसके स्वरूप से पूर्णतः अवगत है और यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ऐसा संबंध तथ्यों की भ्रांति अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावनापूर्वक किए गए विवाह के झूठे वादे से प्रेरित था, वहां उस पुरुष को भा.दं.सं. की धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14- **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 154** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(n) के अन्तर्गत दायर किए गए वास्तविक प्रकरणों की पहचान करने में अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी तथा उक्त अपराध गठित करने वाले आवश्यक तत्वों की पहचान करनी होगी। ऐसे वास्तविक प्रकरणों को उन मुकदमों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, जो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों से उत्पन्न होते हैं और जो विवाद एवं मतभेद अथवा बाद में मन बदल जाने के कारण कटु हो जाते हैं।

15- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055** के प्रकरण में टिप्पणी की है कि यदि दो समझदार वयस्कों ने लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखे हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति वाले संबंध को चुना था और बाद में विवाह का वादा पूरा न किया जाना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019)**

9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 608 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया कि जहां विवाह करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वादा झूठा हो और वादा करने वाले व्यक्ति की वादा करते समय ही उसे पूरा करने की मंशा न हो, बल्कि महिला को यौन संबंध बनाने के लिए राजी करने हेतु उसे धोखा देने की मंशा हो, वहां एक “तथ्यों की भ्रान्ति” उत्पन्न होती है, जो महिला की “सहमति” को दूषित कर देती है। तथापि, केवल वादे का उल्लंघन मात्र यह नहीं कहा जा सकता कि वह झूठा वादा था। अतः झूठे वादे को सिद्ध करने के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि वादा करने वाले व्यक्ति की वादा करते समय अपने वचन का पालन करने की कोई मंशा नहीं थी।

17- सोनू @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) 18 एससीसी 517 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाही को निरस्त कर दिया, यह देखते हुए कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच संबंध सहमति पर आधारित था और दोनों पक्ष डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे तथा बाद में अभियुक्त ने अभियोजनकर्त्री से विवाह करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

18- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

19- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है :-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- **बिलाल अहमद** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

20- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

14 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला